न्यायालय-अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश **(SC/ST(PA)Act),** सिद्धार्थनगर।

UPSD010004782026

Bail Application/235/2026

समीउरहमान पुत्र मंजूर अहमद

साकिन परसा थाना कठेला समयमाता जिला–सिद्धार्थनगर।

–––––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

सरकार उ०प्र० आदि

––––विपक्षी/आपत्तिकर्ता

मु०अ०सं०–73/2024
धारा–323, 504, 506, 427 IPC &
व 3(1)द, ध, 3(2)(va) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना–कठेला समयमाता, जिला सिद्धार्थनगर।

दिनांक–24–03–2026

अभियुक्त समीउरहमान की ओर से मु०अ०सं०–73/2024 धारा–323, 504, 506, 427 IPC & व 3(1)द, ध, 3(2)(va) एस०सी०/ एस०टी० एक्ट थाना–कठेला समयमाता, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र शपथ पत्र से समर्थित है। अभियुक्त उपरोक्त मामले में न्यायिक हिरासत में है। अभियुक्त पूर्व से अन्तरिम जमानत पर है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया है प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष एवं बेगुनाह है जिसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने न तो वादी मुकदमा को मारा पीटा है, न ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली गुप्ता दिया है, न ही जान से मार डालने की धमकी दिया है एवं न ही प्रचार वाहन का पोस्टर फाड़कर कोई क्षति ही कारित किया है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है न ही निस्तारित हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त सम्भ्रान्त परिवार का सदस्य है, फरार होने की कोई संभावना नहीं है।

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.03.24 16:31:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

वादी मुकदमा को जारी नोटिस तामील होकर के प्राप्त है। अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र पर विरोध किया गया व जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने के तर्क प्रस्तुत किये गये हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 3(1)द,ध,3(2)(vए) एससी/एसटी एक्ट के अलावा अन्य अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त आज तक अन्तरिम जमानत पर रहा है। दौरान अन्तरिम जमानत अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। प्रकरण में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विचारण अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगण रखते हुए प्रकरण के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त समीउरहमान का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–25,000/–(पच्चीस हजार रूपये) का निजी बन्धपत्र व इसी धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनॉकः–24–03–2026

(मनोज कुमार तिवारी–I)
अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736